East Central Railway

अधिसूचना सं0-Com/ATVM facilitators/DNR /25-27 दिनांक:- 11.08.2025

अधिसूचना

दानापुर मंडल में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) द्वारा अनारक्षित टिकट बेचने के लिए समन्वयक (फेसिलिटेटर) के चयन हेतु आवेदन की माँग :

दानापुर मंडल के 11 (ग्यारह) स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के लिए समन्वयक (फेसिलिटेटर) के चयन के लिए आवेदन की माँग वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर मण्डल, कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के माध्यम से टिकट जारी करने के लिए पात्र सेवानिवृत रेल कर्मचारी, सेवानिवृत रेल कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा व्यस्क संतान एवं सामान्य स्थानीय आवेदको के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जो मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लगाए गए हैं उनकी सूची निम्नवत है :-

क्र. सं	स्टेशन	NSG श्रेणी	सुविधाकर्ताओं की सं0
1.	PNBE	NSG-01	06
2.	RJPB	NSG-02	04
3.	BXR	NSG-03	04
4.	MKA	NSG-03	01
5.	PNC	NSG-04	01
6.	BEHS	NSG-05	01
7.	DLN	NSG-04	01
8.	JAJ	NSG-03	01
9.	RGD	NSG-04	01
10.	JMU	NSG-04	01
11.	IPR	NSG-05	01
	कुल :-		22

(क) पात्रता की शर्ते (सेवानिर्वित कर्मचारियो के लिए)

1. सभी सेवानिवृत रेल कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 26.05.2025 को 65 वर्ष से कम आयु के हों तथा रेलवे के किसी भी विभाग में सेवा की हो, वे आवेदन करने के पात्र हैं ।
2. 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत रेल कर्मचारी स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी या उनके व्यस्क संतान (एक सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी के लिए केवल एक व्यक्ति जो उनके द्वारा नामित किया गया हो) को समन्वयक (फेसिलिटेटर) के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है । आवेदन के साथ में इस आशय का पत्र संलग्न करेंगे ।
3. रेल कर्मचारी के वैसे जीवनसाथी/व्यस्क संतान जो किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हों, वो आवेदन के पात्र नहीं है। आवेदन के साथ में इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करेंगे ।
4. समन्वयक (फेसिलिटेटर) के चयन के रूप में निम्नलिखित अनुसार वरीयता दी जाएगी :
   (i) वाणिज्य विभाग से वैसे सेवानिवृत रेल कर्मचारी जो वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य लिपिक, पूछताछ सह आरक्षण लिपिक या टिकट चेकिंग संवर्ग के पद से सेवानिवृत हुए हों ।
   (ii) अन्य विभाग से सेवानिवृत रेल कर्मचारी ।
   (iii) सेवानिवृत रेल कर्मचारी का पति/पत्नी अथवा व्यस्क संतान।
   (iv) स्टेशन के निकट रहने वाले आवेदको को वरीयता दी जाएगी।
5. यदि किसी विशेष स्टेशन के लिए आवश्यक संख्या से अधिक पात्र आवेदक हैं, तो इस दशा में ड्रॉ ऑफ लॉटरी की

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C. Railway/Danapur

पद्धति द्वारा समन्वयक (फेसिलिटेटर) का चयन किया जाएगा ।

6. सेवानिवृत रेल कर्मचारी के पति/पत्नी/वयस्क संतान का रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा । इस संबंध में उन्हें **वैधिक कागज** पर एक वचन-पत्र भी देना अनिवार्य होगा ।
7. आवेदक द्वारा किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी **नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र** की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि से **एक माह** से पूर्व का न हो ।
8. **आवासीय प्रमाण पत्र** - जिला के डी०एम०/ एस०डी०एम०/बी०डी०ओ०/सी०ओ०/ तहसीलदार द्वारा निर्गत स्थानीय नागरिक होने का नवीनतम प्रमाण पत्र देना होगा।
9. **चरित्र प्रमाण पत्र** - आवेदक को संबंधित जिले के जिला अधिकारी/ अपर जिला दंडाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम (**6 माह** से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमे इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र अच्छा है।

(ख) पात्रता की शर्ते (सामान्य स्थानीय आवेदको के लिए)

1. आवेदक की आयु दिनांक-26.05.2025 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि/उम्र के प्रमाण के लिए केंद्रीय शैक्षणिक बोर्ड अथवा इससे संबंधित कोई अन्य प्रलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
2. **शैक्षणिक योग्यता** - आवेदक को कम से कम दसवीं पास होना चाहिए। इसके प्रमाण में राज्य/केंद्र शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. **चरित्र प्रमाण पत्र** - आवेदक को संबंधित जिले के जिला अधिकारी/ अपर जिला दंडाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम (**6 माह** से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमे इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र अच्छा है।
4. रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा । इस संबंध में आवेदक को वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र भी देना अनिवार्य होगा ।
5. **आवासीय प्रमाण पत्र** - आवेदक को उस जिले (District) का निवासी होना चाहिए जिस स्टेशन के लिए उसने आवेदन दिया है। इसके लिए उसे उस जिला के डी०एम०/ एस०डी०एम०/बी०डी०ओ०/सी०ओ०/तहसीलदार द्वारा निर्गत स्थानीय नागरिक होने का नवीनतम निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
6. आवेदक द्वारा किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी **नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र** की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि से **एक माह** से पूर्व का न हो ।
7. जमानती राशि:- चयन के उपरांत आवेदक को ब्याज रहित (वापसी योग्य) NSG-1,2 श्रेणी स्टेशन के लिए 50,000/- एवं NSG-3,4 एवं उससे नीचे की श्रेणी स्टेशन के लिए 25,000/- मूल्य के जमानती राशि के मद में, MR (मनी रसीद),भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी सावधिक जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt), डिमांड ड्राफ्ट(Demand Draft) के रूप में जो वित सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के नाम से देय हो तथा पटना में भुगतेय हो (FA& CAO,ECR,Hajipur payable at patna) जमा करना होगा।
8. यदि ATVM सुविधा करता क्षेत्रीय रेल द्वारा सुविधाकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद ATVM संचालित करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो ATVM सुविधाकर्ता द्वारा दी गई जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी इस आशय का स्व-घोषणा पत्र आवेदन मे संलग्न करेंगे ।

(ग) चयन की शर्तें:-

1. एटीवीएम समन्वयक (फेसिलिटेटर) का कार्यकाल 02 वर्षो का होगा, जिसे रेलवे बोर्ड/मुख्यालय के दिशा-निर्देश के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।
2. रेलवे द्वारा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
3. सुविधाकर्ता को 150 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर बोनस @3% की दर से मिलेगा। 151किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच की यात्रा के लिए बोनस @2% की दर से मिलेगा और उसके बाद 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए जारी किए गए टिकटों पर बोनस @1% कि दर से दिया जाएगा यह दर NSG-1,NSG-2 एवं NSG-3 श्रेणी के स्टेशनों के लिए लागू होगा। अन्य श्रेणियों के स्टेशनों के लिए 150 किलोमीटर की दूरी की सीमा तय करने की मौजूदा नीति जारी रहेगी अर्थात 150 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए जारी टिकटों पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा और 150 किलोमीटर के लिए बोनस किराया 3% तक सीमित होगा। यह दर रेलवे बोर्ड के पत्र

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C. Railway/Danapur

संख्या-2024/TG-I/10/ATVM//Bonusonsmart card recharge, दिनांक 20.03.2025 के अनुसार दिनांक-31.03.2026 तक लागू रहेगा।

4. चयन की प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत रेल कर्मचारी को प्राथमिकता दिया जाएगा।

(घ) समन्वयक (फेसिलिटेटर) की कार्यप्रणाली:-

❖ **स्मार्ट कार्ड -**

1. समन्वयक (फेसिलिटेटर) उस स्टेशन के सीएस/एसएस/बीएस से स्मार्ट कार्ड खरीदेंगे जहाँ उसका चयन किया गया है ।
2. एटीवीएम के माध्यम से यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए केवल पंजीकृत स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना चाहिए ।
3. समन्वयक (फेसिलिटेटर) अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने भी रिचार्ज करा सकता है ।
4. यदि स्मार्ट कार्ड खो जाता है, तो उसे इसकी सूचना स्टेशन के सीएस/एसएस/बीएस को तुरंत देनी चाहिए और इसके बदले मे दूसरा स्मार्ट कार्ड खरीदना चाहिए और इसे डिवीजन के साथ पंजीकृत करना चाहिए ।

(ड़) टिकट जारी करना :-

1. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को उसे आवंटित ATVM मशीन से ही टिकट जारी करना चाहिए ।
2. एक से अधिक समन्वयक (फेसिलिटेटर) नियुक्त होने की स्थिति में वह सीएस/एसएस/बीएस द्वारा बनाए गए रोस्टर के अनुसार एटीवीएम के शिफ्ट में काम करेगा ।
3. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को टिकट जारी करते समय रेल द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड पहनना होगा ।
4. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को कोई वर्दी निर्धारित नहीं है, फिर भी साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए जो यात्रियों के सामने प्रस्तुत करने योग्य हो, और यात्रियों को उनके पहनावे से कोई परेशानी न हो ।
5. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को हमेशा यात्रियों के साथ विनम्रता और शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए। दुर्व्यवहार या अन्य किसी भी शिकायत के परिणामस्वरूप आवंटित प्राधिकार को समाप्त कर दी जाएगी ।
6. समन्वयक (फेसिलिटेटर) यात्रियों की कतार बनाने और मांग के अनुसार सही किराया वसूलने के लिए टिकट जारी करने में मदद करेंगे । अधिक शुल्क के संबंध में किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और उनका आवंटित प्राधिकार समाप्त कर दिया जाएगा ।
7. जब भी कोई उपयोगकर्ता एटीवीएम से टिकट लेने आएंगे तो समन्वयक (फेसिलिटेटर) उन्हें टिकट लेने के लिए प्राथमिकता देंगे ।
8. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को अपने नाम का एक बैज बनवाकर हर समय लगाना चाहिए और साथ ही रेलवे द्वारा जारी आई.डी. कार्ड भी पहनना चाहिए ।
9. जहाँ कहीं भी मांग होती है, रेल ऐसे मामलो मे प्रति एटीवीएम 02 समन्वयक (फेसिलिटेटर) नियुक्त कर सकता है । स्टेशन के सीएस/एसएस/बीएस द्वारा रोस्टर के अनुरूप समन्वयक (फेसिलिटेटर) शिफ्ट में काम करेंगे । प्रत्येक एटीवीएम पर एक समन्वयक का चयन किया जाना है जो 24 घंटे कार्यकाल के दौरान 50% का समायावधि समन्वयक का होगा एवं 50 % स्वयं के टिकेटिंग यात्रियो द्वारा किया जाएगा ।
10. कार्य शुरू होने और बंद होने की सूचना प्रतिदिन सीएस/एसएस/बीएस को दी जाएगी और इसे बुकिंग कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाना है ।
11. एटीवीएम की डस्टिंग और सामान्य साफ-सफाई समन्वयक (फेसिलिटेटर) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होगी । किसी भी सिस्टम की विफलता और टिकट रोल की आवश्यकता की सूचना सीएस/एसएस/बीएस को तुरंत दी जाएगी, जो बदले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे और एटीवीएम को ठीक करवाएँगे ।
12. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को ही एटीवीएम का संचालन करना चाहिए और यात्रियों को टिकट जारी करना चाहिए । वह किसी भी समय किसी अनाधिकृत व्यक्ति को टिकट जारी करने की अनुमति नहीं देगा । सबलेटिंग या प्राक्सी उपस्थिति मामले में, आवंटित प्राधिकार तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और आगे के प्राधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।
13. समन्वयक (फेसिलिटेटर) सभी निरीक्षण अधिकारियों को उनके काम में सहयोग करेगा और निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक रिकार्ड और दस्तावेज़ पेश करेगा ।
14. एटीवीएम के संबंध में रेलवे बोर्ड/मुख्यालय/मण्डल द्वारा जारी कोई भी निर्देश समन्वयक (फेसिलिटेटर) के लिए मान्य होगा ।
15. समन्वयक (फेसिलिटेटर) को आवंटित स्टेशन के अलावा किसी भी अन्य स्टेशन/प्लेटफार्म/शिफ्ट पर एटीवीएम संचालित करने की अनुमति नहीं होगी ।हालांकि, रेलवे पूर्व सूचना के साथ, जब भी आवश्यक हो, अस्थायी/स्थायी रूप से किसी भी अन्य स्थान पर समन्वयक (फेसिलिटेटर) को संचालन के लिए स्थानांतरित कर सकता है ।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C. Railway/Danapur

(च) टर्मिनेशन:-समन्वयक (फेसिलिटेटर) के निम्न विफलताओं पर आवंटित प्राधिकार निरस्त/समाप्त कर दी जाएगी-

- पाली में समय पर उपस्थित नहीं होने पंर ।
- यात्रियों से अधिक शुल्क लेना ।
- असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण यात्रियों की यदि शिकायत आती है तो ।
- रेलवे की राय में कोई अन्य कारण जो समाप्ति की गारंटी देता है ।
- रेलवे किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए अधिसूचना/अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- आवंटित प्राधिकार, संचालन, स्थानांतरण, समाप्ति आदि की प्रक्रिया सहित सभी मामलों मे वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।
- कार्यरत सुविधाकर्ता के द्वारा गंभीर अनियमितता (चयन के उपरांत समन्वयक के कार्य नहीं करने पर) पाए जाने पर सभी प्रकार के जमानती राशि को जप्त करते हुए आवंटित चयन को निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ इस आशय का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(छ) आवेदन कैसे करें:-

1. इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त अनुसार पात्र हैं, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, दानापुर, खगौल पटना, पिन - 801105 से स्व-अभिप्रमाणित वैध परिचय पत्र की छाया प्रति जमा करके आवेदन प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।
2. आवेदन प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें www.ecr.indianrailways.gov.in (Division - Danapur, department-commercial) के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।
3. एक आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन जमा किया जाना है, एक से अधिक आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा ।
4. आवेदन में मांग की गयी सभी जानकारी सही ढंग से भरी जानी चाहिए, अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किए जाने के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
5. आवेदन के साथ में मांगे गए प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं होने पर अथवा अधूरे भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।
6. आवेदक द्वारा अपने चरित्र के संबंध में जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है, जो की आवेदन खोलने की तिथि को वैध हो ।
7. आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों तथा निबंधन एवं शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है ।
8. आवेदन का मूल्यांकन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाएगा । बाद मे जमा किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उनपर विचार नहीं किया जाएगा ।
9. आवेदन पत्र को निर्धारित संलग्नक स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ एक सील बंद लिफाफे में रखा जाना है । लिफाफे के ऊपर "एटीवीएम समन्वयक (फेसिलिटेटर)/(स्टेशन का नाम) के लिए आवेदन" लिखा होना चाहिए ।
10. आवेदन पत्र सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक अथवा स्वयं (हाथो-हाथ) मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पूर्व मध्य रेल, दानापुर के कार्यालय में रखे बॉक्स में किसी कार्य दिवस में दिनांक 13.08.2025 से 03.09.2025 तक दिन के 10:00 बजे से 18:00 बजे तक एवं दिनांक 04.09.2025 को दिन के 12.00 बजे तक गिराया जा सकता है ।
11. सीलबंद, प्राप्त आवेदनों को दिनांक 04.09.2025 को दिन के 12:30 बजे खोला जाएगा ।
12. यदि किसी कारणवश अंतिम तिथि को अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे । तथा उसी दिन, दिन के 12.30 बजे खोले जाएंगे ।
13. आवेदनकर्ता यदि चाहें, तो आवेदन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं ।
14. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11/08/25

कृते वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, दानापुर

सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C Railway/Danapur

(सेवा निवृत रेल कर्मचारियों के लिए)

सेवा में,

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा०)

पूर्व मध्य रेल, दानापुर

सेवानिवृत रेल कर्मचारियों अथवा पति/पत्नी अथवा वयस्क बच्चो से ATVM फैसिलिटेटर के रूप मे चयन हेतु आवेदन ।

• हाल ही का पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाये। • आवासीय प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करे। • सेवानिवृत्ति के समय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक द्वारा जारी रेलवे का पहचान पत्र की एक प्रति स्व-अभिप्रमाणित और स्टाम्प साइज फोटो की एक प्रति।	सेवानिवृत रेल कर्मचारी की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें ।	सेवानिवृत्ति रेल कर्मचारियों के जीवनसाथी या वयस्क बच्चों की पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें।

• स्टेशन व श्रेणी का नाम जिसके लिए आवेदन किया हो।......................................

1	**आवेदक का नाम**	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	जन्मतिथि	
5	नियुक्ति की तिथि	
6	सेवानिवृत्ति तिथि	
7	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार उम्र	वर्ष ....महिना ....दिन............
8	कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता	
9	पीपीओ संख्या (पीपीओ की प्रति संलग्न करें)	
10	नवीनतम आवासीय प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	
11	किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र . की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (संलग्न करें)	
12	मोबाइल संख्या	
13	कार्यालय का पता (जहाँ से सेवा निवृत्ति हुए हो)	
14	मनोनित पति/पत्नी/वयस्क बच्चे (यदि कोई हो)	स्वयं ( )/पत्नी ( )/ वयस्क बच्चे ( )
A	**नाम**	
B	कर्मचारी से संबंध (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
C	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
D	पहचान पत्र (संलग्न करें)	
E	आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र (डीएम/पुलिस अधीक्षक बीडीओ/सीओ द्वारा जारी जो छः माह से अधिक पुराना न हो (संलग्न करें)	
F	किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (संलग्न करें)	

मैं घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है मैंने नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और चुने जाने पर उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

स्थान:

दिनांक:-

सेवा निवृत रेल कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक / Asst. Coml. Manager / पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर / E.C. Railway/Danapur

(सामान्य स्थानीय आवेदकों के लिए)

एटीवीएम सुविधाकर्ता के चयन से संबंधित आवेदन

अधिसूचना संख्या:- Com/ATVM facilitators/DNR /25-27 दिनांक :-

1. एटीवीएम सुविधाकर्ता के मांग वाले स्टेशन:-..

2. स्टेशन का श्रेणी:-..

3. **आवेदक का नामः-...**

4. पिता/पति का नामः-..

5. स्थायी निवासः-(आवासीय प्रमाण पत्र) :-.......................................
....

6. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण- पत्रः-..

7. जन्मतिथि प्रमाण- पत्रः-...

8. पहचान पत्र (संलग्न करें) :-..

9. चरित्र प्रमाण पत्र (डीएम/एडीएम/एसडीएम/पुलिस अधीक्षक/बीडीओ/सीओ द्वारा निर्गत) :-
....

10. किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा जारी नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (संलग्न करें) ....

11. रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा । इस संबंध में वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र। (संलग्न करें) ....

टिप्पणी:-

- घोषणा:- घोषणा करता हूं कि मैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग में या एटीवीएम सुविधा के रूप में कार्यरत नहीं हूं।

आवेदक का हस्ताक्षर :-

नाम:-

पिता/पति:-

ग्राम:- .... पोस्ट :- ....

प्रखण्ड:-...................................

जिला:-.....................पिन:-..........

मो०:-............ दिनांक:-.....

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर
E.C. Railway/Danapur